<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062024-254997 CG-DL-E-28062024-254997

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] No. 164] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2024

सं. यू-11014/9/2023-एनएडी-2बी.—भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (एसीएनएएस) का पुनर्गठन करती है:

1. प्रो. बिश्वनाथ गोलदर

अध्यक्ष (गैर-सरकारी)

आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय एन्क्लेव

दिल्ली-110007

2. डॉ. जी. सी. मन्ना

सदस्य (गैर-सरकारी)

(पूर्व महानिदेशक, सीएसओ)

मानव विकास संस्थान

256, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज – III

3805 GI/2024 (1)

नई दिल्ली - 110020

3. डॉ. चेतन घाटे

सदस्य (गैर-सरकारी)

निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान

दिल्ली विश्वविद्यालय एन्क्लेव

दिल्ली-110007

4. प्रो. पार्थ रे

सदस्य (गैर-सरकारी)

निदेशक

एनआईबीएम, पुणे

5. डॉ. सुब्रत गुहा

सदस्य (गैर-सरकारी)

प्रोफ़ेसर

आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

6. डॉ.मौसमी दास

सदस्य (गैर-सरकारी)

प्रोफ़ेसर

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

7. डॉ. शलभ

सदस्य (गैर-सरकारी)

प्रोफेसर, सांख्यिकी और अकादिमक मामलों के डीन

गणित एवं सांख्यिकी विभाग

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

8. डॉ. रंजन कुमार साहू,

सदस्य (गैर-सरकारी)

प्रोफेसर,

सांख्यिकी विभाग

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

महेंद्रगढ़, हरियाणा ।

9. सीईओ, जीएसटीएन

सदस्य (गैर-(सरकारी)

वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी ,

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,

नई दिल्ली - 110037

10. महानिदेशक (सांख्यिकी)

सदस्य (सरकारी)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

11. महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण), सदस्य (सरकारी)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

12. प्रधान आर्थिक सलाहकार, सदस्य (सरकारी)

डाटा प्रबंधन और विश्लेषण वर्टिकल

(पूर्व पीपीडी) नीति आयोग,

नई दिल्ली-110001

13. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सदस्य (सरकारी)

आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त मंत्रालय,

नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली-110001

14. महानिदेशक, डीजीसीआईएस सदस्य (सरकारी)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कोलकाता-700107

15. सलाहकार (कृषि सांख्यिकी), सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

16. सलाहकार (सांख्यिकी), सदस्य (सरकारी)

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

नई दिल्ली

17. उपमहानिदेशक, कॉरपोरेट डाटा प्रबंधन इकाई सदस्य (सरकारी)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली

18. प्रधान सलाहकार (प्रभारी डीएसआईएम) सदस्य (सरकारी)

भारतीय रिजर्व बैंक,

मुंबई

19. प्रधान सलाहकार/प्रभारी अधिकारी,

सदस्य (सरकारी)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

(डीईपीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक.

मुंबई

20. उपमहानिदेशक, डीपीआईआईटी

सदस्य (सरकारी)

उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011

21. निदेशक,

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

तमिलनाडु

22. निदेशक,

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

उत्तर प्रदेश

23. निदेशक,

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ओड़िशा

24. निदेशक.

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

त्रिपुरा

25. निदेशक,

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

महाराष्ट्र

26. अपर महानिदेशक,

सदस्य सचिव (सरकारी)

राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,

नई दिल्ली

- 2. श्री असित कुमार साधु, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) समिति में एनएससी प्रतिनिधि के रूप में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- 3. एसीएनएएस के लिए संदर्भ की शर्तें हैं:
 - (i) मौजूदा डेटा बेस की समीक्षा करना और राष्ट्रीय लेखा के अनुमानों में सुधार के लिए नए डेटा स्रोतों को शामिल करने पर सलाह देना ।

- (ii) आर्थिक विश्लेषण और नीति के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन और प्रस्तुति के लिए कार्यप्रणाली के साथ-साथ त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा के मौसमी समायोजन की कार्यप्रणाली पर सलाह देना और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- (iii) नवीनतम संयुक्त राष्ट्र मानकों के कार्यान्वयन, विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों के लिए लेखाओं के अनुक्रम के विकास में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा अनुशंसित नए वर्गीकरणों को अपनाने आदि पर सलाह देना।
- (iv) अर्थव्यवस्था के विशिष्ट खंडों और उप-राष्ट्रीय लेखा से संबंधित विभिन्न मैक्रो-इकॉनोमिक संकेतकों के अनुमान पर सलाह देना।
- (v) राष्ट्रीय लेखा के लिए आधार वर्ष और ड्ब्ल्यूपीआई/पीपीआई, सीपीआई, आईआईपी आदि जैसे अन्य संबंधित उत्पादों के साथ इसके संरेखण पर सलाह देना।
- vi) राष्ट्रीय लेखा के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा समिति को संदर्भित किसी अन्य मामले पर सलाह देना।
- 4. राजपत्र अधिसूचना संख्या वाई -18020/3/2019-सीएपी दिनांक 19 जुलाई 2019 द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक आचार संहिता समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों (सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों) पर बाध्यकारी होगी।
- 5. पैरा-1 में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष तथा अन्य गैर- सरकारी सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 4000/रुपये की बैठक फीस के हकदार होंगे। वे समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थानीय यात्रा के लिए परिवहन/परिवहन शुल्क के भी हकदार होंगे। इसके अलावा, वे समिति की बैठकों के संबंध में घरेलू दौरों पर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा करने के पात्र होंगे। बाहरी गैर-सरकारी सदस्यों के लिए कमरे का किराया और टीए/डीए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- 6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों के टीए/डीए आदि पर होने वाले व्यय का वहन उनके मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा किया जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं।
- 7. सिमिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति से विभिन्न विषयों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं से निपटने के लिए सदस्य(ओं)/विशेषज्ञ(ओं) को सहयोजित कर सकते हैं। यदि सहयोजित सदस्य/विशेषज्ञ गैर-सरकारी सदस्य हैं, तो वे उपरोक्त पैरा (5) में निर्धारित टीए/डीए और बैठने की फीस आदि के हकदार होंगे।
- 8. सलाहकार सिमति की बैठकों के संचालन पर होने वाला व्यय तथा गैर-सरकारी सदस्यों को किए जाने वाले भुगतान/प्रतिपूर्ति आदि का वहन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लेखा शीर्ष 3454 (मुख्य शीर्ष) के अंतर्गत किया जाएगा।
- 9. समिति को सचिवालयी सहायता राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 10. इस समिति का कार्यकाल पांच वर्ष या राष्ट्रीय लेखा के अगले आधार वर्ष संशोधन के पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, होगा। प्रचालन व्यवहार्यता के लिए, समिति अधिकतम दो वर्ष के कार्यकाल के साथ विभिन्न पहलुओं पर उप समितियों का गठन कर सकती है।
- 11. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- 12. इसे एकीकृत वित्त प्रभाग की मिसिल संख्या यू-11014/9/2023-एनएडी-2बी के तहत दी गई सहमित से जारी किया जाता है।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Statistical Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2024

No. U-11014/9/2023-NAD-2B .—The government of India hereby reconstitutes the Advisory Committee on National Accounts Statistics (ACNAS) with the following composition:

1. Prof. Biswanath Goldar

Chairman (non-official)

Former Professor Institute of Economic Growth

Delhi University Enclave

Delhi-110007

2. Dr. G.C. Manna

Member (non-official)

(Former DG, CSO)

Institute for Human Development

256, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase - III

New Delhi - 110020

3. Dr. Chetan Ghate

Member (non-official)

Director, Institute of Economic Growth

Delhi University Enclave

Delhi-110007

4. Prof. Partha Ray

Member (non-official)

Director

NIBM, Pune

5. Dr. Subrata Guha

Member (non-official)

Professor

Centre of Economic Studies and Planning

Jawaharlal Nehru University

6. Dr. Mausumi Das

Member (non-official)

Professor

Delhi School of Economics

7. Dr Shalabh

Member (non-official)

Professor of Statistics & Dean of Academic Affairs

Department of Mathematic & Statistics

Indian Institute of Technology, Kanpur

8. Dr. Ranjan Kumar Sahoo,

Member (non-official)

Professor,

Department of Statistics

Central University of Haryana

Mahendragarh, Haryana.

9. CEO, GSTN

Member (non-official)

Worldmark 1, Aerocity,

Indira Gandhi International Airport,

New Delhi - 110037

Member (official) 10. Director General (Stats) **MOSPI** New Delhi-110001 11. DG (NSS), Member (official) **MOSPI** New Delhi-110001 12. Principal Economic Adviser, Member (official) Data Management and Analysis Vertical (Earlier PPD) NITI Aayog, New Delhi-110001 13. Sr. Economic Adviser, Member (official) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New delhi-110001 14. Director General, DGCIS Member (official) M/o Commerce & Industry Kolkata 700107 15. Adviser (Agriculture Statistics), Member (official) Directorate of Economics and Statistics Department of Agriculture & Farmers Welfare Ministry of Agriculture & Farmers Welfare New Delhi-110001 16. Adviser (Statistics), Member (official) Department of Animal Husbandry & Dairying Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying New Delhi 17. DDG, Corporate Data Management Unit Member (official) Ministry of Corporate Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi 18. Principal Adviser (In charge DSIM) Member (official) Reserve Bank of India, Mumbai 19. Principal Adviser/Officer-in-charge, Member (official) Department of Economic & Policy Research (DEPR) Reserve Bank of India, Mumbai 20. DDG, DPIIT Member (official)

Udyog Bhawan, New Delhi 110011

21. Director, Member (official)

Directorate of Economics & Statistics

Tamil Nadu

22. Director, Member (official)

Directorate of Economics & Statistics

Uttar Pradesh

23. Director, Member (official)

Directorate of Economics & Statistics

Odisha

24. Director, Member (official)

Directorate of Economics & Statistics

Tripura

25. Director, Member (official)

Directorate of Economics & Statistics

Maharashtra

26. Additional Director General,

Member Secretary (official)

National Accounts Division, MOSPI,

New Delhi

- 2. Shri Asit Kumar Sadhu, Member, National Statistical Commission (NSC) will be special invitee to the Committee representing the NSC.
- 3. The terms of reference for the ACNAS are:
- (i) To review the existing data bases and advise on inclusion of new data sources for improving the estimates of National Accounts
- (ii) To advise on the methodology for compilation and presentation of National Accounts Statistics for purposes of economic analysis and policy including methodology for seasonal adjustment of quarterly national accounts and on promotion of research in the field of National Accounts Statistics.
- (iii) To advise on implementation of latest UN standards, adoption of new classifications etc recommended by the UN Statistics Division in development of sequence of accounts for various institutional sectors.
- (iv) To advise on estimation of different macro-economic indicators related to specific segments of economy and sub-national accounts.
- (v) To advise on base year for national accounts and its alignment with other related products like WPI/PPI, CPI, IIP etc.
- (vi) To advise on any other matter referred to the committee by the National Statistical Commission in respect of national accounts.
- 4. The Code of Professional Ethics as notified vide Gazette Notification No. Y-18020/3/2019-CAP dated19th July 2019 shall be binding on the Chairman and Members (both Official and Non-official) of the committee.
- 5. The Chairman and other non-official members of the committee mentioned in Para-1 would be entitled to a sitting fee of Rs. 4000/- per day for attending the meetings. They will also be entitled to transport/transport charges for local travel for attending the meetings of the Committee. Besides, they will be eligible to travel by air in economy class or by rail in air-conditioned first class while undertaking domestic tours in connection with the meetings of the Committee. The room rent and TA/DA for the out-station non-official members will be regulated in accordance with the rules in force framed by the Ministry of Finance from time to time.
- 6. The expenditure of the official members on TA/DA etc. for attending the meetings of the Committee will be borne by their parent Ministry/Department/ Organization to which they belong.
- 7. The Chairman of the Committee may, if necessary, with prior approval of the Ministry of Statistics and Program Implementation may co-opt member(s)/expert(s) for dealing with the specific issues and problems relating to different subjects. If the co-opted member(s)/expert(s) is/are non-official member(s), then they would be entitled for TA/DA and sitting fees etc. as prescribed in the above para (5).

- 8. The expenditure on conducting the meetings of the Advisory Committee and the payments/reimbursements etc. made to non-official members would be borne by the Ministry of Statistics and Program Implementation, New Delhi under the Head of Account 3454 (Major head).
- 9. Secretarial assistance to the committee will be provided by the National Accounts Division, National Statistical Office, Ministry of Statistics & P.I.
- 10. The tenure of this committee will be five years or till the completion of next base year revision of National Accounts, whichever is later. For operational feasibility, Committee may constitute Sub Committees on different aspects with maximum tenure of two years.
- 11. The notification will come into force with immediate effect.
- 12. This issues with the concurrence of Integrated Finance Division vide

BRIJENDRA SINGH, Dy. Director General